श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय

मैदागिन, वाराणसी -221001

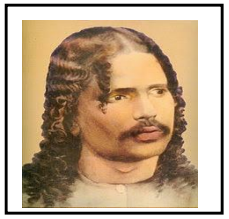

विशेष मामलों मे वाद

Dharmendra Kumar Gupta
Assistant Professor
Faculty of Law

विशेष मामलों मे वाद

- सरकार के विरुद्ध या उसके द्वारा [S.79-82+O.27],
- फर्म के विरुद्ध या उसके द्वारा [O.30],
- अकिंचन या निर्धन व्यक्ति के द्वारा वाद [O.33+44],
- अंतराभिवाची वाद [S.88+O.35]

सामान्य मामलों मे वाद

- ऐसे सभी वाद वादपत्र के प्रस्तुति द्वारा प्रारम्भ होते है ।
- समान्यतया प्रकृतिक व्यक्ति
- वादी आवश्यक रूप से वयस्क हो
- समान्यतया वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विवाद

विशेष मामलों मे वाद

- ऐसे मामलों मे आवेदन, नोटिस या करार हो सकता है ।
- प्रकृतिक व्यक्ति या अन्य विधिक व्यक्ति
- अवयस्क अपने प्रतिपालक या वाद मित्र की सहायता से अपने नाम से वाद दायर कर सकता है
- वास्तविक विवाद प्रतिवादियों के मध्य हो सकती है जैसे अंतराभिवाची वाद मे

सरकार या लोक सेवक द्वारा या उनके विरुद्ध वाद [S.79-82+O.27]

- सरकार के विरुद्ध या पदीय हैसियत मे लोक सेवक द्वारा किए कार्य के संबंध मे लोक सेवक के विरुद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक दो माह पूर्व इससे संबन्धित लिखित सूचना नहीं दे दी जाती ।
- ऐसी सूचना मे वाद-हेतुक, वादी का नाम,वर्णन, निवास स्थान तथा जिस अनुतोष का दावा किया जा रहा है उसका कथन होगा ।

सूचना कहाँ परिदत्त या छोड़ा जाएगा ?

- केंद्रीय सरकार के विरुद्ध वाद की दशा मे, रेलवे के सिवा, उस सरकार के सचिव को ।
- केंद्रीय सरकार के विरुद्ध वाद की दशा मे, जहाँ वह रेलवे से संबन्धित है, उस रेल के प्रधान प्रबन्धक को।
- जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार के विरुद्ध वाद की दशा मे मुख्य सचिव या अन्य नामित प्राधिकारी
- अन्य राज्य के सम्बंध मे उस राज्य के सचिव या जिले के कलेक्टर को

कब सूचना आवश्यक नहीं है ?

सरकार के विरुद्ध कोई अत्यावश्यक या तुरन्त अनुतोष प्राप्त करने के लिए न्यायालय की अनुमति से तुरन्त वाद दायर किया जा सकता है।

किन्तु

न्यायालय वाद मे अनुतोष के संबंध मे कोई आदेश सरकार या लोकसेवक को युक्तयुक्त सुनवाई का अवसर देने के बाद ही देगा ।

- पक्षकारों को सुनने के पश्चात यदि न्यायालय को समाधान हो जाता है की कोई अत्यावश्यक या तुरन्त अनुतोष प्रदान करना आवश्यक नहीं है तो वादपत्र वापस कर सकता है । .
- कोई वादपत्र मात्र इस कारण खारिज नहीं किया जाएगा कि सूचना मे कोई त्रुटि या दोष है ।

सरकार या लोकसेवक के विरुद्ध या द्वारा वाद की प्रक्रिया

पक्षकार

सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वादों मे, वादपटर मे वादी या प्रतिवादी का नाम वर्णन और निवास स्थान सामील करने के बजाय धारा 79 मे उपबंधित वह समुचित नाम अन्तः स्थापित करना पर्याप्त होगा। अर्थात-

- केन्द्र सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध वाद मे 'भारत संघ'
- राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद मे उस राज्य का नाम

लोक सेवक

- जहाँ लोक सेवक के विरुद्ध नुकसानी या अन्य अनुतोष के लिए वाद उसके द्वारा पदीय हैसियत मे किए गए किसी कार्य के बारे मे है, वहाँ सरकार को वाद के पक्षकार के रूप मे संयोजित किया जाएगा ।
- जहाँ सरकार किसी लोक सेवक के विरुद्ध वाद मे प्रतिरक्षा का जिम्मा लेता है वहाँ सरकारी प्लीडर, उपसंजात होने और वादपत्र का उत्तर देने का प्राधिकार दिये जाने पर न्यायालय से आवेदन करेगा और न्यायालय ऐसे आवेदन पर उसके प्राधिकार का टिप्पण सिविल वादों के रजिस्टर मे प्रविष्ट करेगा ।
- यदि उपरोक्त प्लीडर उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए नियत तिथि या उससे पूर्व उपरोक्त आवेदन नहीं करता तो वह मामला प्राइवेट पक्षकारों के बीच चलने वाले मामले की तरह चलेंगे ।
- जहाँ लोक सेवक प्रतिवादी है और समन मिलने के बाद मामले को सरकार को निर्देशित करना उचित समझता है वहाँ वह निदेश करने तथा उस पर आदेश प्राप्त करने के लिए समन मे नियत समय को बढ़ाने के लिए न्यायालय मे आवेदन कर सकेगा । और न्यायालय ऐसे आवेदन पर आवश्यक समय को बढ़ा देगा।

अभिवचन और मान्यताप्राप्त अभिकर्ता

- ऐसे वादों से संबन्धित वादपत्र और लिखित कथन ऐसे व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किए जाएगे जिसे सरकार ने इस निमित्त नियुक्त किया हो और जो मामले के तथ्यों से परिचित है।
- किसी भी न्यायिक कार्यवाही के बारे मे सरकार के लिए कार्य करने के लिए पड़ें या अन्यथा प्राधिकृत व्यक्ति मान्यताप्राप्त अभिकर्ता समझे जाएगे जो सरकार की ओर से उपसंजात हो सकेगे, कार्य कार सकेगे और आवेदन कर सकेगे ।
- किसी भी न्यायालय मे का सरकारी प्लीडर न्यायालय द्वारा सरकार के विरुद्ध निकली गयी आदेशिकाएं लेने के प्रयोजन के लिए सरकार का अभिकर्ता होगा । न्यायालय किसी ऐसे मामले मे जिसमे सरकारी प्लीडर के साथ सरकार की ओर से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वाद संबंधी किसी तात्विक प्रश्नो का उत्तर देने मे समर्थ हो, ऐसे व्यक्ति की हजरी के लिए भी निदेश दे सकेगा ।

न्यायालय मे उपसंजाति

सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने के लिए दिन निर्धारित करते समय न्यायालय इतना युक्ति-युक्त समय अनुज्ञात करेगा जितना सरकार को आवश्यक संसूचना भेजने के लिए और सरकार की ओर से उपसंजात होने उत्तर देने के लिए सरकारी प्लीडर को अनुदेश देने के लिए आवश्यक हो। ऐसी समयावधि को न्यायालय दो महीने तक बढ़ा सकेगा।

किसी लोक सेवक के विरुद्ध वाद मे--

- डिक्री के निष्पादन मे से अन्यथा न तो गिरफ्तार किए जाने का दायित्व प्रतिवादी पर और न कुर्क किए जाने का दायित्व उसकी संपत्ति पर होगा।
- जहाँ न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी लोक सेवा का अपाय किए बिना अपने कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं हो सकता, वहाँ वह उसे व्यक्तिगत उपस्थिती से छूट दे देगा।

वादों मे निपटारा कराने मे सहायता करने का न्यायालय का कर्तव्य

- न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि वह वाद कि विषय वस्तु के बारे मे निपटारा कराने मे पक्षकारों कि सहायता करने के लिए हर प्रयास प्रथमतः करे जहाँ ऐसा करना मामले कि प्रकृति और परिस्थितियो से सुसंगत हो ।
- यदि वाद के किसी प्रक्रम पर न्यायालय को निपटारे कि युक्तियुक्ति संभावना प्रतीत होती है तो वह कार्यवाही को ऐसे समय के लिए स्थगित कर सकेगा जिससे कि ऐसा निपटारा कराने का प्रयास किया जा सके ।

सरकार या लोक सेवक के विरुद्ध डिक्री , आदेश या पंचाट का निष्पादन

- ऐसी डिक्री, आदेश या पंचाट के विरुद्ध निष्पादन आदेश तभी निकाला जाएगा जब डिक्री, आदेश या पंचाट की पास होने से तीन महीने तक तुष्टि न हो ।
- **आदेश या पंचाट के लिए यह आवश्यक है की —**
  (a)ऐसा आदेश या पंचाट सरकार या लोक सेवक के विरुद्ध चाहे न्यायालय द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो ।
  (b)इस सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन ऐसे डिक्री के समान निष्पादन किए जाने के योग्य हो ।

PART-II

अकिंचन या निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद [O.33+44],

- अकिंचन द्वारा वाद- ऐसे व्यक्ति के द्वारा वाद जिसका जीवन लोक दान पर आधारित हो
- निर्धन द्वारा वाद- गरीब व्यक्ति द्वारा बिना शुल्क के वाद

❑'निर्धन' शब्द को 'अकिंचन' के स्थान पर 1976 मे प्रतिस्थापित किया गया। लॉं कमीशन के अनुसार 'अकिंचन' शब्द आधुनिक प्रवृति के अनुसार तालमेल नहीं रखती [54वाँ रिपोर्ट पृ॰ 237]।

निर्धन व्यक्ति कौन है ?

- एक व्यक्ति निर्धन व्यक्ति है ,—
  - ❑यदि उसके पास इतना प्रयाप्त साधन नहीं है की वह ऐसे वाद मे वादपत्र के लिए फीस दे सके ; या
  - ❑जहाँ ऐसी कोई फीस विहित नहीं है वहाँ जब वह एक हजार रूपये के मूल्य की ऐसी संपत्ति का हकदार नहीं है ।
- दोनों मामलों मे डिक्री के निष्पादन मे कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति और वाद की विषय वस्तु शामिल नहीं किया जाएगा ।
- निर्धन व्यक्ति के रूप मे वाद दायर करने के लिए आवेदन और आवेदन पर विनिश्चय के बीच के समय मे प्राप्त की गई संपत्ति को ध्यान मे रखा जाएगा ।
- जहाँ वादी प्रतिनिधि की हैसियत मे वाद लाता है वहाँ इस बात के अवधारण के लिए की वह निर्धन व्यक्ति है उन साधनों के प्रति निर्देश से की जाएगी जो ऐसी हैसियत मे उसके पास है ।

आवेदन की विषयवस्तु

निर्धन व्यक्ति के रूप मे वाद लाने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन मे-- Rule 2

- वाद मे के वादपत्रों के सम्बंध मे अपेक्षित विष्टियाँ
- आवेदक की जंगम या स्थावर संपत्ति की अनुसूची उस संपत्ति के प्रक्कलित मूल्य के साथ आवेदन के साथ संलग्न रहेगा
- आवेदन को अभिवचन की तरह हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा।

आवेदन का प्रस्तुत किया जाना Rule-3

- आवेदन स्वयं आवेदक द्वारा न्यायालय मे प्रस्तुत किया जाएगा, या
- यदि उसे न्यायालय मे उपस्थित होने से छूट प्राप्त है तो वह प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा जो आवेदन से संबन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सकता हो और जिसका आवेदक की तरह परीक्षा किया जा सके ।

❑ लेकिन जहाँ एक से अधिक वादी है वहाँ किसी एक के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

आवेदन प्राप्त करने पर प्रक्रिया

- न्यायालय के मुख्य लिपिक वर्गीय अधिकारी द्वारा प्रथम बार मे निर्धन व्यक्ति के संसाधनों की जाँच
- न्यायालय द्वारा आवेदक या उसके अभिकर्ता का दावे के गुणावगुण और आवेदक की संपत्ति के बारे मे परीक्षण ।

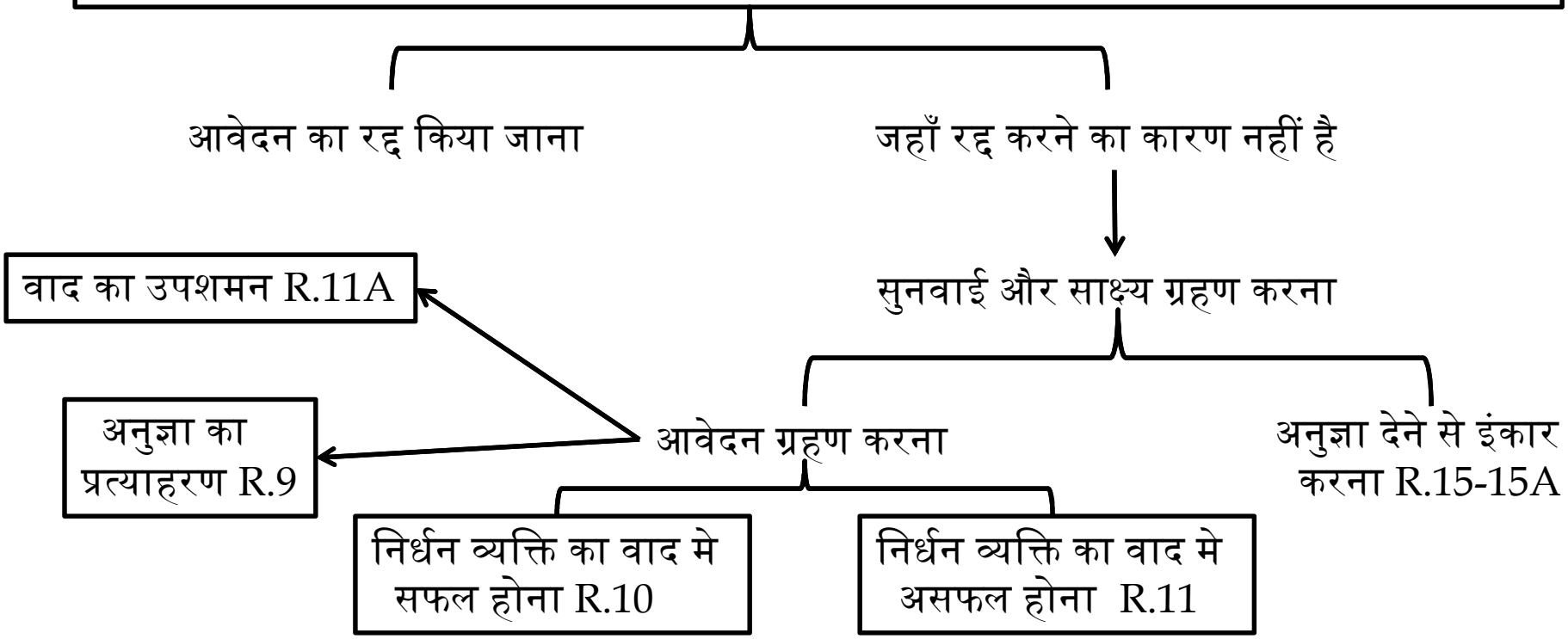

आवेदन का नामंज़ूर किया जाना

न्यायालय आवेदन को नामंज़ूर कर देगा - Rule 5

(a) जहाँ ऐसा आवेदन नियम 2 और 3 मे विहित रीति से विरचित और प्रस्तुत नहीं की गई है, अथवा

(b) जहाँ आवेदक निर्धन व्यक्ति नहीं है , अथवा

(c) जहाँ उसने आवेदन देने से पहले के दो माह के भीतर, कपटपूर्वक या अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए, किसी संपत्ति का व्ययन कर दिया है :

- *परन्तु* यदि व्ययनित संपत्ति को हिसाब मे लेने के बाद भी वह व्यक्ति नियम 1 के अनुसार निर्धन है तो ऐसे मे आवेदन नामंज़ूर नहीं कैया जाएगा, अथवा

(d) जहाँ उसके अभिकथनों से वादहेतुक दर्शित नहीं होता, अथवा

(e) जहाँ आवेदक ने वाद की विषय-वस्तु के बारे मे कोई करार किया है जिसके अधीन किसी व्यक्ति ने विषय-वस्तु मे हित अभिप्राप्त कर लिया है, अथवा

(f) जहाँ वाद किसी तत्समय प्रवृत विधि के अन्तर्गत वर्जित है, अथवा

(g) जहाँ किसी अन्य व्यक्ति ने मुकद्दमेबाजी के वित्तपोषण के आवेदक के साथ करार किया है ।

यदि आवेदन नामंजूर करने का कोई कारण नहीं है

- न्यायालय साक्ष्य लेने तथा सुनवाई के लिए दिन नियत करेगा
- इस उद्देश्य के लिए कम से कम 10 दिन की स्पष्ट सूचना विपक्ष और सरकार के प्लीडर को दिया जाएगा
- न्यायालय साक्षियों का परीक्षण नियम 5 खंड b,c और e, के मामले मे करेगा तथा आवेदक और उसके अभिकर्ता की नियम 5 किसी भी मामले के संबंध मे
- सुनवाई और परीक्षण के पश्चात या तो न्यायालय निर्धन के रूप मे वाद लाने की अनुमति प्रदान करेगा या इस निमित्त इन्कार कर देगा ।

आवेदन ग्रहण करने पर प्रक्रिया

- आवेदन मंजूर किए जाने पर उसे संख्यांकित और रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और उसे वादपत्र समझा जाएगा।
- और वह वाद मामूली रोप से संस्थित वाद के रूप मे आगे चलेगा सिवाय इसके कि वादी किसी याचिका, प्लीडर कि नियुक्ति या वाद से संबन्धित किसी अन्य कार्यवाही मे न्यायालय फीस या किसी आदेशिका कि तामिली के लिय देय फीस देने का दायी नहीं होगा।
- जहाँ ऐसा व्यक्ति, जिसे निर्धन के रूप मे वाद दायर करने कि अनुमति दी गयी है, का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर के द्वारा नहीं किया गया है वहाँ न्यायालय मामले कि परिस्थितियों के अनुसार उसके लिए प्लीडर नियत कर सकेगी . R.9A
- केन्द्र सरकार या राज्य सरकार ऐसे निर्धन व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए अनुपूरक उपबंध बना सकेगी। R.18
- कोई ऐसा प्रतिवादी जो मुजरा या प्रतिदावे का अभिवचन करना चाहता है उसे निर्धन व्यक्ति के रूप मे ऐसा दावा करने कि अनुमति दी जा सकती है। R.17

न्यायालय फीस कि वसूली

- जहाँ ऐसा निर्धन व्यक्ति वाद मे सफल होता है वहाँ न्यायालय फीस कि रकम राज्य सरकार द्वारा ऐसे पक्षकार से वसूलनीय होगा जो उसे सनदत्त करने के लिए डिक्री द्वारा निर्धारित है और ऐसी रकम वाद कि विषय-वस्तु पर प्रथम भार होगी .
- जहाँ ऐसा निर्धन व्यक्ति वाद मे असफल हो जाता है उसे या सहवादी, यदि कोई हो, को न्यायालय फीस देना होगा ।.
- जहाँ किसी वाद का उपशमन ऐसे निर्धन वादी या सहवादी कि मृत्यु के कारण हो जाती है वहाँ राज्य सरकार मृत वादी कि सम्पदा से न्यायालय फीस वसूलेगी .
- उपरोक्त सभी मामलों मे राज्य सरकार को पक्षकार माना जाएगा और वह न्यायालय फीस जमा करने के लिए आवेदन कर सकेगा R.12-13

अनुज्ञा का प्रत्याहरण
नियम 9

न्यायालय प्रतिवादी या सरकारी प्लीडर के आवेदन पर अपनी अनुज्ञा का प्रत्याहरण कर सकेगी यदि -

(a) वादी वाद के दौरान तंग करने वाले या अनुचित आचरण का दोषी है ; अथवा

(b) यदि यह प्रतीत होता है की वादी की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उसे निर्धन व्यक्ति के रूप मे वाद नहीं करते रहना चाहिए ; अथवा

(c) जहाँ आवेदक ने वाद की विषय-वस्तु के बारे मे कोई करार किया है जिसके अधीन किसी व्यक्ति ने विषय-वस्तु मे हित अभिप्राप्त कर लिया है ।

- उपरोक्त उद्देश्य के लिए वादी को सैट दिन कि लिखित नोटिस देना आवश्यक है ।

निर्धन व्यक्ति के रूप मे वाद लाने के लिए अनुज्ञा देने से इन्कार का प्रभाव

- आवेदक को अनुज्ञा देने से इन्कार करने पर आवेदक वैसी ही प्रकृति के किसी भी पश्चात्वर्ती आवेदन करने से वर्जित हो जाएगा ।

किन्तु

आवेदक को सामान्य तरीके से वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा .

परन्तु

यदि वह निर्धन व्यक्ति के रूप मे वाद लाने कि इजाजत के लिए आवेदन का विरोध करने मे राज्य सरकार द्वारा और विरोधी पक्षकार द्वारा उपगत किए गए खर्चे का (यदि कोई हो) वाद संस्थित किए जाते समय या उसके पश्चात न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर संदाय करेगा

ऐसा संदाय न करने पर उसका वादपत्र नामंज़ूर कर दिया जाएगा ।

PART- III

अंतराभिवाची वाद [S.88+O.35]

- एक अंतरभिवाची ऐसा वाद है जिसमे वास्तविक विवाद वादी और प्रतिवादी के बीच न हो कर, एक दूसरे के विपरीत दावा करने वाले प्रतिवादियों के बीच होता है ।
- अंतरभिवाची वाद मे वादी वाद की विषय वस्तु मे वास्तविक रूप से हितबद्ध नहीं होता ।
- इस प्रकार के वाद का मूल उद्देश्य विरोधी प्रतिवादियों के बीच दावों का न्यायनिर्णयन है ।
- ऐसे मामलों मे वादी का निष्पक्ष होना आवश्यक है।

अंतरभिवाची वाद दायर करने के लिए आवश्यक शर्तें S.88

- किसी ऋण, धनराशि या अन्य जंगम या स्थावर संपत्ति के संबंध मे विवाद
- दो या अधिक व्यक्ति ऐसी संपत्ति के बारे मे प्रतिकूल दावा किसी अन्य व्यक्ति से करें
- ऐसा अन्य व्यक्ति प्रभारों या खर्चों के अतिरिक्त संपत्ति मे किसी अन्य हित का दावा नहीं करता और जो अधिकारवान दावेदार को ऐसी संपत्ति परिदत्त करने के लिए तैयार है
- इस संबंध मे कोई अन्य वाद लंबित नहीं होना चाहिए

अंतरभिवाचीवाद के लिए प्रक्रिया *Order-XXXV*

वादपत्र की रचना

वादपत्र मे निम्न कथन होगा --

- वादी प्रभारों या खर्चों के अतिरिक्त संपत्ति मे किसी अन्य हित का दावा नहीं करता;
- प्रतिवादियों द्वारा पृथक्तः किए गए दावे कथित होंगे; और
- वादी और प्रतिवादियों मे से किसी भी प्रतिवादी के बीच कोई दुस्सन्धी नहीं है ।

प्रक्रिया

- जहाँ दावकृत चीज ऐसी है की न्यायालय मे जमा की जा सकती है या न्यायालय की अभिरक्षा एमई रखी जा सकती है वहाँ न्यायालय वादी से यह अपेक्षा कर सकेगा की ऐसी चीज को न्यायालय मे जमा कर दी जय और ऐसे वादी को उसके द्वारा किए गए खर्चे के संबंधमे दावकृत चीज पर भार डाल दे।
- पहली सुनवाई मे न्यायालय घोषित कर सकेगा कि वादी दावकृत चीज के संबंध मे प्रतिवादियों के प्रति सभी प्रकार के दायित्वों से मुक्त हो गया है , उसे उसके खर्चे अधिनिर्णीत कर सकेगा और वाद मीसे उसे खारिज कर सकेगा । परंतु यदि न्यायालय को न्याय और सुविधा कि दृष्टि से वादी का बना रहना आवश्यक है तो उसे पक्षकार बनाए रख सकता है ।
- यदि पक्षकारों कि स्वीकृतियों और अन्य साक्ष्य के आधार पर न्यायालय दावकृत चीज के हक का निर्णय कर सकता है तो न्यायालय ऐसा न्यायनिर्णयन कर सकेगा । अथवा
- न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि -

  (a)पक्षकारों के बीच विवाद्कों कि रचना की जाय और उनका विचरण किया जाय, और

  (b) मूल वादी के बदले या उसके अतिरिक्त किसी दावेदार को वादी बना दिया जाय ।

कौन अंतरभिवाची वाद नहीं दायर कर सकता

किसी अभिकर्ता को अपने मालिक पर या किसी अभिधारी को अपने भूस्वामी पर इस प्रकार वाद लाने नहीं दिया जाएगा कि वे मालिक या भूस्वामी से जो ऐसे मालिकों या भूस्वामियों से व्यत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों से भिन्न हो, अंतभिवचन करने के लिए विवश किया जाय ।

उदाहरण

(क) आभूषणों का बक्स अपने अभिकर्ता के रूप में **ख** के पास **क** निक्षिप्त करता है। **ग** का यह अभिकथन है कि आभूषण **क** ने उससे सदोष अभिप्राप्त किए थे और वह उन्हें **ख** से लेने के लिए दावा करता है। **क** और **ग** के विरुद्ध अन्तराभिवाची वाद **ख** संस्थित नहीं कर सकता।

(ख) आभूषण का एक बक्स अपने अभिकर्ता के रूप में **ख** के पास **क** निक्षिप्त करता है। तब वह इस प्रयोजन से **ग** को लिखता है कि **ग** को जो ऋण उस द्वारा शोध्य है उसकी प्रतिभूति वह उन आभूषणों को बना ले। **क** तत्पश्चात् यह अभिकथन करता है कि ग के ऋण की तुष्टि कर दी गई है और **ग** इसके विपरीत अभिकथन करता है। दोनों **ख** से आभूषण लेने का दावा करते हैं। **क** और **ग** के विरुद्ध अन्तराभिवाची वाद **ख** संस्थित कर सकेगा।

PART- IV

फर्म के द्वारा या विरुद्ध वाद
Order-XXX

- कोई भी दो या अधिक व्यक्ति, जो भागीदारों की हैसियत से दावा करते है या दायी है और भारत मे कारोबार चलते है, या उन पर उस फर्म के नाम से जिसके की ऐसे व्यक्ति वाद हेतुक के उत्पन्न होने के समय भागीदार थे वाद ल सकेंगे या उन पर वाद लाया जा सकेगा ।
- ऐसे वाद का कोई भी पक्षकार न्यायालय मे आवेदन कर सकेगा की ऐसे भागीदारों के नामों और पतों का कथन ऐसी रीति से किया जाय और सत्यापित किया जाय जो न्यायालय निर्दिष्ट करे ।
- ऐसे वाद के अभिवचन किसी भी भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित, सत्यापित या प्रमाणित किया जाएगा ।
- यदि वाद फर्म के नाम से दायर की जा रही है, प्रतिवादी भागीदारों के नाम प्रकट करने की माँग कर सकता है ।
- यदि वाद दायर करने के पूर्व या वाद के लंबित रहने के दौरान किसी भागीदार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों को शामिल करना आवश्यक नहीं होगा ।

समन की तामील

- समन की तामील न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले निदेश के अनुसार या तो –
  (a) भागीदारों मे से किसी एक के या अधिक पर की जाएगी, अथवा
  (b) उस प्रधान स्थान मे जिसमे भारत के भीतर भागीदारी का कारोबार चलता है, किसी ऐसे व्यक्ति पर की जाएगी जिसके हाथ मे उस भागीदारी के कारोबार का नियंत्रण या प्रबंध तामील के समय है, ***और***
- ऐसी तामीली को सही तामीली माना जाएगा चाहे सभी भागीदार या उनमे से कोई भारत के भीतर या बाहर हो ।
- ***परंतु*** यदि वादी को वाद संस्थित करने से पूर्व यह जानकारी हो जाती है की फर्म विघटित हो गया है तो उसे भारत मे रहने वाले हर व्यक्ति पर तामील करनी होगी जिसे दायी बनाना हो ।
- ऐसे प्रत्येक समन के साथ लिखित सूचना दी जाएगी कि समन कि तामील भागीदार कि हैसियत से या फर्म के नियंत्रक या प्रबन्धक कि हैसियत से या दोनों कि हैसियत मे कि गई है । ऐसी सूचना के अभाव मे यह समझा जाएगा कि ऐसी तामीली भागीदार कि हैसियत में कि गई है ।

भागीदारों कि उपसंजाति

- जहाँ व्यक्तियों पर भागीदार कि हैसियत मे उनकी फर्म के नाम मे वाद लाया जाता है वहाँ वे स्वयं अपने अपने नाम से उपस्थित होंगे, किन्तु पश्चातवर्ती सभी कार्यवाहियां फर्म के नाम से जारी रहेगी ।
- जहाँ समन भागीदारी कारोबार के नियंत्रण या प्रबंधन रखने वाले व्यक्ति पर किया जाता है वहाँ उसे जब तक कि वह भागीदार न हो उपस्थित होने कि आवश्यक नहीं ।

आपत्ति पूर्वक उपसंजाति

- जिस व्यक्ति पर भागीदार के रूप मे समन कि तामील कि गयी है वह यह इन्कार करते हुए उपसंजात हो सकेगा है कि वह भागीदार नहीं था ।
- वह व्यक्ति ऐसी उपसंजाति होने के पश्चात, सुनवाई और निपटारे के लिए नियत तारीख के पूर्व किसी भी समय, न्यायालय मे इस बात के अवधारण के लिए आवेदन कर सकेगा कि क्या वह भागीदार था उस रूप मे दायी था ।
- यदि न्यायालय यह अवधारित करता है कि वह भागीदार था तो वह अपने समर्थन मे प्रतिरक्षा कर सकेगा।
- यदि न्यायालय यह अवधारित करता है कि वह भागीदार नहीं था तो वादी फर्म पर समन कि तामील कर सकेगा और वाद को आगे बढ़ा सकेगा ।

किन्तु

ऐसी दशा मे फर्म के विरुद्ध पारित डिक्री के निष्पादन के समय फर्म के भागीदार कि हैसियत मे उस व्यक्ति के दायित्व का अभिकथन नहीं कर सकेगा ।

सहभागीदारों के बीच मे वाद

आदेश 30 फर्म और भागीदारों के बीच के वाद तथा भागीदारों के बीच किसी वाद के संबंध मे भी लागू होगा;

किन्तु

ऐसे किसी वाद मे निष्पादन न्यायालय की अनुमति के बिना जारी नहीं की जाएगी

और

ऐसे निष्पादन की अनुमति के लिए आवेदन किए जाने पर ऐसी सभी लेखाओं का लिया जाना और जांच के लिए निर्दिष्ट करना तथा ऐसे अन्य न्यायसंगत आदेश देए जा सकेगे

स्वयं अपने नाम से भिन्न नाम से कारबार चलाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वाद

अपने नाम से भिन्न नाम से कारबार चलाने वाले किसी भी व्यक्ति पर या किसी नाम से कारबार चलाने वाले हिन्दू अविभक्त कुटुंब पर वाद उसी न या अभिनम मे इस प्रकार लाया जा सकेगा मानो वह फर्म का नाम हो ।

और

आदेश 30 के सभी नियम वहाँ तक लागू होंगे जहाँ तक कि उस वाद कि प्रकृति से अनुज्ञात हो ।

भागीदारी से संबन्धित वाद मे डिक्री

जहाँ तक वाद भागीदारी के विघटन के लिए या भागीदारी के लेखाओं के लिए जाने के लिए है वहाँ न्यायालय अन्तिम डिक्री देने से पूर्व ऐसी प्रारम्भिक डिक्री पारित कर सकेगा।

आदेश 20 नियम 15